बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक-विविध-24/2017-..................../एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रेषक,

E-mail/Web

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक
सभी सहायक निदेशक
सभी खनिज विकास पदाधिकारी
सभी खान निरीक्षक।

विषयः- लघु खनिज हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु ली गयी शुल्क की राशि वापस करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभिन्न जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 की धारा-45 के तहत लघु खनिज के व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना था। इस हेतु इच्छुकों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसमें विभिन्न जिलों में तीन वर्षों हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क एवं बैंक गारंटी जमा कराया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.-15965/ 2017 (तथा अन्य रिट याचिकायें) में दिनांक 27.11.2017 को पारित आदेश द्वारा उक्त नियमावली पर सम्प्रति स्थगन अधिरोपित किया गया है। तदोपरांत पुरानी नियमावली यथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 प्रवृत हो गयी है। इस संबंध में विभिन्न जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा खुदरा अनुज्ञप्ति के आवेदकों के अनुरोध पर जमा की गयी राशि वापस करने के संबंध में दिशा निदेश की मांग की गयी है। तत्संबंधी अनुदेश निम्नलिखित हैं:-

लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत लघु खनिज के व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु तीन वर्षों का अनुज्ञप्ति शुल्क कुल ₹30,000/-(तीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट एवं ₹100000/-(एक लाख मात्र) की बैंक गारंटी संबंधित आवेदकों को वापस की जा सकती है, जिनपर खान एवं भूतत्व विभाग एवं बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का कोई बकाया शेष न हो।

विश्वासभाजन
ह0/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः-.........2182........................../एम0, पटना दिनांक..22/5/18..............................

प्रतिलिपिः-सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्गम
22/5/18

22/5/18
सरकार के अवर सचिव।